

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संकल्प

पत्र सं०-14/डी०एल०ए०-एल०ए०ए०-नीति-(मुआवजा)-03/2014...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा 26(2) के अधीन एवं प्रथम अनुसूची (First Schedule) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल लोकहित में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में शहरी क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अर्जन से प्रभावित हितबद्ध भू-धारियों को पारदर्शी तरीके से उचित एवं समानुपातिक प्रतिकर की राशि का भुगतान के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों से सटे "पेरिफेरल क्षेत्र" एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा के निर्धारण हेतु दूरी के आधार पर निम्नलिखित रीति में गुणक फैक्टर (Multiplier Factor) विनिश्चित करते हैं :-

- (i) नगर निगम क्षेत्र के लिए :-
- (क) 0 से 08 कि० मी०-1.25
 - (ख) 08 से 10 कि० मी०-1.50
 - (ग) 10 कि० मी० से अधिक-02
- (ii) नगर परिषद् क्षेत्र के लिए :-
- (क) 0 से 04 कि० मी०-1.5
 - (ख) 04 से 06 कि० मी०-1.75
 - (ग) 06 कि० मी० से अधिक-02
- (iii) नगर पंचायत क्षेत्र के लिए :-
- (क) 0 से 02 कि० मी०-1.75
 - (ख) 02 से 04 कि० मी०-1.85
 - (ग) 04 कि० मी० से अधिक-02

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-675, दिनांक-20.05.2014 एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/डी०एल०ए०-एल०ए०ए०-नीति-(मुआवजा)-03/2014-...../रा०, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह०/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

प्रतिलिपि :-

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति अपने स्तर से उनके परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14 / डी0एल0ए0-एल0ए0ए0 नीति-(मुआवजा)-03 / 2014-11.43/रा0, पटना-15, दिनांक-23-10-18

प्रतिलिपि :-

आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संकल्प की प्रति
विभागीय वेबसाइट पर Up-load करने हेतु प्रेषित।

9/12
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 23/10
प्रधान सचिव।

Government of Bihar
Revenue & Land Reforms Department
(Directorate of Land Acquisition)

Resolution No:- 14/DLA-LAA-Policy-(compensation)-03/2014-...../Rev.

RESOLUTION

Patna, Dated-...../2018

In exercise of the powers conferred under the provisions contained in first Schedule and under section 26(2) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (No 30 of), 2013 the Governor of Bihar is pleased to determine, in public interest, the multiplier factor for determination of compensation for the land to be acquired for any project in rural areas and peripheral areas, on the basis of its distance from the boundary of the municipal (urban) areas in following manner :-

- (i) For municipal corporation areas :-
 - (a) 0 to 08 K.M – 1.25 times
 - (b) 08 to 10 K.M – 1.50 times
 - (c) 10 and more K.M – 02 times
- (ii) For municipal council areas :-
 - (a) 0 to 04 K.M – 1.5 times
 - (b) 04 to 06 K.M – 1.75 times
 - (c) 06 and more K.M – 02 times
- (iii) For municipal Panchayat areas :-
 - (a) 0 to 02 K.M – 1.75 times
 - (a) 02 to 04 K.M – 1.85 times
 - (a) 04 and more K.M – 02 times

2. Resolution published/ issued earlier vide memo No-675, Dated-20.05.2014 of Revenue & Land Reforms Department, Bihar, Patna is hereby repealed.

3. This order will come into effect immediately

By the order of the Governor of Bihar,

Sd/-

(Brijesh Mehrotra),
Principal secretary.

Memo no-Resolution No:-DLA-LAA-Policy-(compensation)-03/2014-..... /Rev . Patna, Dated -

Copy forwarded to- Superintendent, Govt. printing press, Gulzarbag, Patna-800007 for information and with request to publish this Resolution in next extraordinary issue of Gazette and send five hundred copies to this department for Official use.

Sd/-

Principal secretary.

Memo no-Resolution No:-14/DLA-LAA-Policy-(compensation)-03/2014..... /Rev . Patna, Dated -

Copy to-

1. All Divisional Commissioners/All Collectors/All Additional Collectors/ Director, Land Acquisition and Rehabilitation, water Resources Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

All Collectors are requested to make this Resolution available to concerned requesting officers of projects continuing in his jurisdiction.

2. Director, Information and Public Relation Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

3. All Principal Secretaries/All Secretaries/All Head of the Departments, Bihar, Patna for information and necessary action.

4. Officer on Special Duty of the Chief Secretary, Government. of Bihar, Patna.

5. Personal Secretary to the Honourable Minister, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna.

6. Principal Secretary of Honourable Chief Minister, Chief Minister Secretariat, Government of Bihar, Patna.

Sd/-

Principal Secretary.

Memo no-Resolution No:-14/DLA-LAA-Policy-(compensation)-03/2014:1143/Rev . Patna, Dated - 23-10-18

Copy to-

IT Manager, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna to upload this Resolution on website.

B. Mehrotra
Principal Secretary. 23/10